

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)  
प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): रायपुर P.S. (थाना): मौदहापारा Year (वर्ष): 2023  
FIR No. (प्र.सू.रि.सं.): 0072  
Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 24/03/2023 21:05 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	147
2	भा दं सं 1860	148
3	भा दं सं 1860	149
4	भा दं सं 1860	294
5	भा दं सं 1860	506
6	भा दं सं 1860	447

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): शुक्रवार

Date From (दिनांक से): 24/03/2023

Date To (दिनांक तक): 24/03/2023

Time Period (समय अवधि): पहर 5

Time From (समय से): 15:00 बजे

Time To (समय तक): 15:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 24/03/2023

Time (समय): 21:05 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003

Date & Time (दिनांक और समय): 24/03/2023 21:05 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्वोत्तर, 1 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर, रायपुर, रायपुर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम):

District (State) (ज़िला (राज्य)):

**6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**

- (a) Name (नाम): जितेन्द्र गोलछा  
 (b) Father's Name (पिता का नाम): पन्ना लाल जी गोलछा  
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1973  
 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत  
 (e) UID No. (यूआईडी सं.):  
 (f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):  
 Date of Issue (जारी करने की तिथि):  
 Place of Issue (जारी करने का स्थान):  
 (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

**(h)Address (पता):**

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	पचपेढी नाका ,रायपुर ,रायपुर ,टिकरापारा,रायपुर,छत्तीसगढ़,भारत
2	स्थायी पता	पचपेढी नाका ,रायपुर ,रायपुर ,टिकरापारा,रायपुर,छत्तीसगढ़,भारत

**(i) Occupation (व्यवसाय):**

**(j) Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

**7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):**

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अमित शर्मा			1. रायपुर ,अज्ञात
2	भावेश शर्मा			1. रायपुर ,अज्ञात
3	विनोद कश्यप			1. रायपुर ,अज्ञात
4	अर्पित परगनिया			1. रायपुर ,अज्ञात
5	शांतनु झा			1. रायपुर ,अज्ञात
6	आकाश शर्मा एवं अन्य			1. रायपुर ,अज्ञात

**8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से विचार विमर्श के बाद

**9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
--------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

**10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):**

**11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
-----------------	---------------------------------

**12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

में जितेन्द्र गोलछा जिला भाजपा कार्यालय मंत्री रायपुर शहर जिला के पद पर कार्यरत हूँ आज दिनांक 24.03.2023 को कांग्रेस कार्यकर्ता अमित शर्मा, भावेश शुक्ला, विनोद कश्यप (भक्कू) अर्पित परगनिया, शांतनु झा एवं आकाश शर्मा तथा अन्य लोगों के द्वारा भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अश्लील गाली गुसार कर जान से मारने की धमकी देते हुये भाजपा के कार्यकर्ताओं के उपर तथा भाजपा कार्यालय की दीवारों पर कालिख फेकने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। लिखित आवेदन नकल जैल है। प्रति श्रीमान थाना प्रभारी मौदहापारा, रायपुर छत्तीसगढ़ विषय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किए जाने बाबत। महोदय जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि कांग्रेस के नेता एवं सांसद राहुल गांधी को गुजरात के न्यायालय के द्वारा मानहानि के मामले में उन्हें दो वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। जिससे रायपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गुस्से में आकर धरना प्रदर्शन व तोडफोड कर रहे हैं माननीय न्यायालय के लिए अपशब्दों का उपयोग कर रहे है। घटना भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर की है जहां आज दोपहर 03 बजे की है कांग्रेस के नेता अमित शर्मा, भावेश शुक्ला, विनोद कश्यप (भक्कू) अर्पित परगनिया, शांतनु झा एवं आकाश शर्मा तथा सैकड़ों लोग भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर के मुख्य गेट के पास आकर अश्लील गाली गलौच कर रहे थे। वे अपने साथ लाठी-डंडे, कालिख एवं बोटलों में पेट्रोल लेकर आए हुए थे। वे भाजपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के लिए अश्लील गाली गलौच मादरचोद भोसडी वाले इनकी मां की चूत की गालियां दे रहे थे जो कि सुनने में काफी बुरे लग रहे थे। कार्यालय के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा एवं भाजपा कार्यकर्ताओं अनुराग अग्रवाल, अमित साहू, गोविंदा गुप्ता, अर्पित सूर्यवंशी एवं अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें गाली गलौच करने से मना किया तो उन्हें कार्यालय से बाहर निकलो तुम्हे जान से मार देंगे कहकर धमकी दे रहे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा दीवारों पर एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर कालिख फेंकी गई। वे लोग कार्यालय के छोटे गेट से जबरदस्ती घुसकर अंदर प्रवेश कर लिये थे। अतः महोदय से निवेदन है कि कांग्रेस के उपरोक्त कार्यकर्ताओं पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कानूनी कार्यवाही करने की कष्ट करें। रायपुर दिनांक 24/03/2023 हस्ताक्षर अस्पष्ट प्रार्थी जितेन्द्र गोलछा जिला कार्यालय मंत्री रायपुर शहर जिला। आवेदन के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया आरोपीगण के विरुद्ध धारा सटर 147,148,149,294,506,447 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

**13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है ।)

**(1) Registered the case and took up the investigation:** Lalman Sao (I (Inspector)) /  
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया) : or

**(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):**

**Rank (पद):**

**No.( सं.):**

**to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)**  
**or (या)**

**(3) Refused investigation due to (जांच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया या)**

**(4) Transferred to P.S.(थाना):**

**District (ज़िला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

**F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी ।)**

**R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)**

**14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

**15. Date and time of dispatch to the court**

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

**Name (नाम): Lalman Sao**

**Rank(पद): I (Inspector)**

**No.(सं.):**

**Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):**

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )**

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)	
1	2	3	4	5	6	7	
Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)			Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8			9	10	11	12	13
Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)	
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma(लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)		
14	15	16	17	18	19	20	

**These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.**

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)